

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

यतीन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 06 जनवरी, 2025

विषय:- शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के पत्रांक- शि0नि0(बे0)/49112-14/2024-25 दिनांक 03 जनवरी, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु नीति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दिनांक 02.06.2023 एवं पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है:-

1- अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण प्रक्रिया हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत समिति प्रस्तावित है-

1	मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
3	वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	सदस्य
4	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

2 - अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए जनपद में कार्यरत नियमित शिक्षक एवं शिक्षिका अर्ह होंगे। अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए सेवावधि की बाध्यता नहीं होगी।

3- अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किये जायेंगे।

4 - अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं संविलित विद्यालयों में निम्न श्रेणियाँ अनुमन्य होंगी:-

क- सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय।

ख- प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय।

ग- सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से विषय समान होने की स्थिति में।

घ- प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से विषय समान होने की स्थिति में।

च- प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय।

5- शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान हो, को अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात परस्पर कार्यमुक्त किया जायेगा।

6 - शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी/कूटरचित पाये जाने पर सम्बन्धित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

7 - शिक्षक एवं शिक्षिका की स्वेच्छा के आधार पर अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित जनपद के उसी विद्यालय में जहाँ से पारस्परिक सहमति से जोड़ा (pair) बना हो के लिए अनिवार्यतः कार्यमुक्त किये जायेंगे।

8- शिक्षक एवं शिक्षिका पदोन्नति के पद पर जिस जनपद हेतु अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस जनपद में उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि तक पदोन्नति होने की दशा में ही अर्ह होंगे।

9- शिक्षक एवं शिक्षिका को ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति को आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार जमा करना होगा।

10- शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा वेबसाइट पर वांछित अभिलेख अपलोड किये जाने का दायित्व स्वयं उनका होगा। सम्बन्धित द्वारा त्रुटि किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

11- निर्धारित प्रक्रियानुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरान्त ही पूर्ण माना जायेगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा। अन्तिम रूप से सबमिट किये गये आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा।

12- अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के उपरान्त सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर सात दिवस के अन्दर स्थानान्तरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जायेगा।

13- अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण की समस्त प्रक्रिया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र 30प्र0, लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन सम्पादित की जायेगी। ऑफलाइन आवेदन पत्र पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

14- अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण स्कूल से स्कूल (School to School) किये जायेंगे।

15- अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु तकनीकी प्रक्रिया एवं समय सारिणी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र 30प्र0 लखनऊ से विचार-विमर्श के उपरान्त सचिव, 30प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा निर्गत किया जायेगा।

16- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक एवं शिक्षिका को ग्रीष्मकालीन अवकाश में कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।

17- एक बार स्थानान्तरण हो जाने के उपरान्त किसी भी शिक्षक को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

18- चूंकि शिक्षक जनपद कैडर (District Cadre) के हैं, इसलिए स्थानांतरित शिक्षकों को उस जनपद की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा, जहां वे कार्यभार ग्रहण करेंगे।

19- इस प्रक्रिया में किसी भी विवाद की स्थिति में महानिदेशक (स्कूल शिक्षा) निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) होंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by

Yatindra Kumar

Date: 06-01-2025 19:12:52

(यतीन्द्र कुमार,)

विशेष सचिव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, 30प्र0 लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), 30प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, 30प्र0, प्रयागराज।
6. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, 30प्र0 प्रयागराज/वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 प्रयागराज।
7. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/समस्त प्राचार्य, डायट 30प्र0।
8. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक 30प्र0।
9. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा 30प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Anand Kumar
Singh

Date: 06-01-2025 19:19:57

(आनन्द कुमार सिंह)

उप सचिव।